# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी— विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 75/2023 | 23.02.2023 | 27.07.2023 |

अनवान

1. श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री प्रहलाद धोबी निवासी तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमती वनिदा पत्नी श्री मुकेश कुमार धोबी निवासी इण्डिया होटल के पास, सोलंकी टॉकिज के पीछे, शास्त्रीनगर, तहसील व जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्री उगमा बैरवा,
2. गोपाल पुत्र श्री ऊंकार गाडरी,
3. नन्दा पुत्र ऊंकार गाडरी,
4. रामेश्वर पुत्र श्री प्यारा गाडरी,
5. रूप लाल पुत्र श्री जयराम गाडरी,
6. परथू पुत्र श्री कजोड़ गाडरी,
7. उदा पुत्र श्री मोहन बलाई,
   निवासीगण आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील व जिला भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :: अधिवक्ता श्री धनश्याम चन्देल प्रार्थीगण
एक तरफा अप्रार्थीगण

**—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम ::—**

## —:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम आटूण, पटवार हल्का आटूण, भू.अ.नि. क्षेत्र आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2069 2073 के नये खाता संख्या 68 की अभिलिखित आराजी संख्या 1978 रकबा 0.2150 है0 भूमि प्रार्थीगण के स्वामित्व आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की है, जिसमें अप्रार्थीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात का पूर्व में सीमांकन नहीं हुआ है, जिससे मेड़ पाली की धारा काटने आदि के बाद में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की पत्थरगढ़ी कराई जावे।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 27.07.2023 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढ़ी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैर बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने की अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि मौजा ग्राम आटूण, पटवार हल्का आटूण, भू.अ.नि. क्षेत्र आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2069–2073 के नये खाता संख्या 68 की अभिलिखित आराजी संख्या 1978 रकबा 0.2150 है0 भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिह्न स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000/ रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( विनोद कुमार )
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा